

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम
 "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों
 के क्रम में जिला पेयजल स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 04.04.2022 हेतु निम्नवत्

एजेण्डा:-

क्र०सं०	एजेण्डा बिन्दु।	अद्यतन स्थिति
1	कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा कार्यदायी संस्था के मध्य गठित अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार उल्लेखित है कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित निःशुल्क भूमि प्राप्त करने हेतु ग्रामों की सूची कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने की तिथि से 4 माह की अवधि के अन्तर्गत प्राक्कलनों को तैयार करके प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना होगा।	कार्यदायी मै० इण्डियन ह्यूम पाइप को निर्धारित लक्ष्य 175 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा कुल 342 नग राजस्व ग्रामों की सूची पूर्व में दिनांक 19.03.2021 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। अद्यतन स्थिति के अनुसार 33 नग प्राक्कलन राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत किये गये हैं एवं 61 नग डी०पी०आर० पर जिला पेयजल स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त लखनऊ प्रेषित किये गये हैं। इस प्रकार कुल 94 नग प्राक्कलन जिसमें 116 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। फलस्वरूप कार्यदायी संस्था अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यों के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल है।
2	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 26.03.2022 में जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि शेष 59 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन दिनांक 28.03.2022 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल निगम में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	कार्यदायी मै० इण्डियन ह्यूम पाइप द्वारा दिनांक 28.03.2022 को मात्र 19 नग राजस्व ग्रामों के 09 नग प्राक्कलन प्रस्तुत किये एवं आज दिनांक 04.04.2022 को 33 नग राजस्व ग्रामों के 19 नग प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये जिनका परीक्षण की कार्यवाही प्रगति पर है। शेष 07 नग ग्रामों के प्राक्कलन प्रस्तुत करना वांछित है।
3	94 नग प्राक्कलनों में से 33 नग प्राक्कलनों की स्वीकृति SLSSC लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी है। तत्क्रम में कार्यदायी संस्था तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के मध्य 32 नग प्राक्कलनों की कवर अनुबन्ध की कार्यवाही निम्नवत् सम्पन्न हुयी। (A). दिनांक 15.09.2021 को 10 नग पेयजल योजनाओं का कवर अनुबन्ध कार्यदायी संस्था तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के मध्य गठित हुआ। (B). दिनांक 13.10.2021 को 08 नग पेयजल योजनाओं का कवर अनुबन्ध कार्यदायी संस्था तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के मध्य गठित हुआ। (C). दिनांक 05.02.2022 को 14 नग पेयजल योजनाओं का कवर अनुबन्ध कार्यदायी संस्था तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के मध्य गठित हुआ।	कवर अनुबन्धित 32 नग पाइप पेयजल योजनाओं में से वर्तमान तक 26 नग योजनाएं निर्माणाधीन है। शेष 06 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना वांछित है। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यों का सत्यापन टी०पी०आई० एवं डी०पी०एम०यू० तथा जल निगम द्वारा समय-समय किया गया तथा कार्यस्थल पर परिलक्षित कमियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया परन्तु संस्था द्वारा उक्त निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया जिस कारण कार्यस्थलों पर स्थानीय लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा कार्यों के प्रगति में भी वांछित सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। उनके ऐसे कृत्यों के कारण जनपद की प्रगति 8.25 प्रतिशत जबकि राज्य स्तर की प्रगति 10.14 प्रतिशत से कम है। जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

	उपरोक्तानुसार कवर अनुबन्धित 32 नग पेयजल योजनाओं में से दिनांक 26.03.22 तक 24 नग योजनाएं निर्माणाधीन थीं शेष 8 नग योजनाओं पर दिनांक 31.03.2022 तक कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सहमति प्रदान की गयी।	
4	पाइप पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित 8000 नग FHTC का लक्ष्य दिनांक 31.03.2022 तक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित है। लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 26.03.2022 तक मात्र 93 नग आंशिक FHTC पर ही कार्य किया गया है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि कार्यों के लक्ष्य निर्धारित अवधि अन्तर्गत प्राप्त न करने की दशा में अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 02.04.2022 तक मात्र 103 नग आंशिक FHTC पर ही कार्य किया गया है तथा दिनांक 24.04.2022 को अधिशासी निदेशक महोदय द्वारा आहूत बैठक में संस्था के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने हेतु पत्रालेख की मांग की है जोकि अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा प्रथक से प्रेषित किया जायेगा।
5	कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा कार्यदायी संस्था मै0 जी0बी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 गुजरात एवं मै0 एस0सी0एल0 कम्पनी हैदराबाद को नामित किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्थाओं को क्रमशः 323 नग एवं 300 नग राजस्व ग्रामों का लक्ष्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के द्वारा निर्धारित किया गया है। तत्क्रम में दोनों संस्थाओं को क्रमशः 55 नग राजस्व ग्रामों एवं 56 नग राजस्व ग्रामों की सूची दिनांक 17.02.2022 को उपलब्ध करायी गयी जिसके सापेक्ष मै0 जी0बी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 गुजरात ने 10 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन एवं मै0 एस0सी0एल0 कम्पनी हैदराबाद ने 08 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन दिनांक 04.02.2022 तक प्रस्तुत करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।	कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान तक प्राक्कलन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि प्राक्कलन से सम्बन्धित कुछ मदों के मूल्य कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हैं तथा माह जनवरी में जी0एस0टी0 लागत बढ़ने के कारण कार्यालय राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा प्रथक से गाइड लाइन जारी करने के उपरान्त ही प्राक्कलन प्रस्तुत करना सम्भव होगा।
6	कार्यालय अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगों तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के द्वारा जनपद अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों में विभिन्न आई.ई.सी गतिविधियां/जन जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु सूचीबद्ध स्वयंसेवी संस्था "विंग्स" लखनऊ को आदेशित किया गया है।	अद्यतन स्थिति अनुसार स्वयंसेवी संस्था "विंग्स" लखनऊ द्वारा जनपद अन्तर्गत 04 ब्लकों में आई.ई.सी गतिविधियां/जन जागरूकता कार्यक्रम के कार्य किये गये हैं परन्तु उ0प्र0 में होने वाले विधान सभा चुनाव-2022 अन्तर्गत लागू आदर्श आचार संहिता के कारण संचालित कार्यों को स्थगित कर दिया गया था, तत्क्रम में पुनः कार्यालय अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगों तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्रांक 4309/SWSM/JJM/IEC-HRD/ Agency Empanelment/2021-22 दिनांक 16.03.2022 द्वारा जल जीवन मिशन "हर घर जल" योजनान्तर्गत जनपद में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में स्थगित हुये कार्यक्रम को तत्काल प्रारम्भ करते हुये समस्त कार्य दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण कराने के निर्देश संस्था

		विगंस को प्राप्त हुये है। उक्त के आलोक में जनपद की ग्राम पंचायतों में विभिन्न आई.ई.सी गतिविधियां/ जन जागरूकता कार्यक्रम को पुनः संचालित कराने हेतु मार्गदर्शन आपेक्षित है।
7	जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत कुल 922 नग राजस्व ग्राम स्थापित है, जिनमें से 62 नग राजस्व ग्राम पूर्ण रूप से जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं से आच्छादित है। शेष 860 नग राजस्व ग्रामों में से 342 नग राजस्व ग्रामों पर जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 19.03.2021 को अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। शेष 518 नग राजस्व ग्रामों की अनुमोदन आपेक्षित है।	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या = 922 नग। जल निगम द्वारा आच्छादित ग्राम = (-) 62 नग। दिनांक 19.03.2021 को अनुमोदित सूची में सम्मिलित ग्रामों की संख्या = (-) 342 नग। शेष राजस्व ग्रामों की संख्या = 518 नग।
		जल निगम द्वारा आच्छादित ग्राम = 62 नग। इण्डियन ह्यूम पाइप लक्ष्य ग्राम = 175 नग। जी0बी0पी0आर0 लक्ष्य ग्राम = 323 नग। एस0सी0एल0 लक्ष्य ग्राम = 300 नग। योग:- 860 नग। शेष-62 नग।


 (एम0के0 सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता